राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति
स्वास्थ्य भवन, जयपुर

एफ 29 (87) एनआरएचएम/एमएमजेआरके/बी.ए./13/ 585 दिनांक 1/5/2013

राज्यादेश

राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से एक विशिष्ठ योजना मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष बनायी गयी है यह योजना 1 जनवरी 2009 से लागू की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के इन्डोर एवं आउटडोर मरीजों को मेडिकल कॉलेज से संबंधित चिकित्सालयों, जिला चिकित्सालयों, सैटेलाईट चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर निःशुल्क निदान एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। इस योजना के कियान्वयन के लिए निम्नांकित निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

1. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के मरीजों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की जानकारी के संबंध में चिकित्सा संस्थान के मुख्य प्रवेशद्वार पर एक बोर्ड लगाया जायेगा जिस पर बीपीएल सहायता काउन्टर एवं औषधि वितरण केन्द्र आदि की जानकारी प्रदर्शित होगी।
2. बीपीएल रोगी को प्रत्येक स्तर पर सहायता उपलब्ध करवाने हेतु बीपीएल सहायता काउन्टर की स्थापना की जायेगी जो अलग पहचान हेतु पीले रंग का होगा। चिकित्सा संस्थान में बीपीएल सहायता काउन्टर यथासंभव मुख्यद्वार के पास तथा औषधियों से संबंधित काउन्टर चिकित्सा संस्थान के आसानी से पहुॅच वाले स्थान पर स्थापित किया जावे जिससे रोगी को भटकना नहीं पड़े।
3. इस योजना के तहत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ राज्य सरकार द्वारा करवाये गये सर्वेक्षण के आधार पर नवीनतम अनुमोदित बीपीएल चयनित सूची के परिवारों को दिया जायेगा।बीपीएल का कार्ड / नरेगा कार्ड/ आस्था कार्ड प्रस्तुत करने पर उसका बीपीएल सूची से मिलान कर इस सुविधा का लाभ दिया जायेगा।

4. बीपीएल होने के उक्त प्रमाण पत्र भर्ती के समय उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में भी रोगी के नाम का मिलान ऑन लाईन बीपीएल सूची से कर तुरन्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी तथा बीपीएल रोगी के सहायक को 24 घण्टे में बीपीएल प्रमाण पत्र अथवा अन्य पहचान पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जायेगा।
5. बीपीएल परिवार के रोगी के चिकित्सा संस्थान पर आने पर बीपीएल सहायता काउन्टर पर कार्यरत कार्मिक रोगी का आउटडोर टिकट जारी करेगा एवं संभावित बीमारी के विषय विशेषज्ञ के पास पहुँचाने में सहायता करेगा। उक्त कार्ड के आधार पर रोगी को चिकित्सा संस्थान मे उपचार की सुविधायें तथा औषधियां पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध करवायी जायेंगी।
6. औषधिया चिकित्सा संस्थान के वितरण केन्द्र पर उपलब्ध नहीं होने पर मेडिकेयर रिलीफ समिति के माध्यम से अधिकतम डिस्कान्ट (न्यूनतम दर) वाली दरों पर दुकान से क्रय कर रोगी का उपलब्ध करवायी जायेगी। चिकित्सा संस्थान के बीपीएल आउटडोर रोगियों को औषधि केन्द्र से निःशुल्क औषधियां उपलब्ध करवाने में भी बीपीएल सहायता काउन्टर के कार्मिक सहयोग प्रदान करेगे।
7. इस योजना के शीघ्र संचालन हेतु प्रारम्भ में मेडिकल कॉलेज से संबंधित चिकित्सालयों, जिला चिकित्सालयों तथा सैटेलाईट चिकित्सालयों पर स्थापित बीपीएल सहायता काउन्टर हेतु आवश्यक कार्मिकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के माध्यम से की जायेगी। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक कम्प्यूटर ऑपरेटर संविदा के आधार पर मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के माध्यम से नियुक्त किया जायेगा।

   योजना में जन समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु बीपीएल सहायता काउन्टर संचालन हेतं कलक्टर के माध्यम से सेवाभावी गैर सरकारी संस्थाओं तथा दानदाता संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये जा सकेगे। जिला कलक्टर द्वारा उक्त संस्थाओ का चयन किये जाने के उपरांत बीपीएल सहायता काउन्टर पर 24 घण्टे संचालन की जिम्मेवारी उसी संस्था की होगी। उक्त संस्थाओं द्वारा नियुक्त किये गये कार्मिकों को चिकित्सा संस्थानों की और से कोई वेतन भत्तें नही दिये जायेंगे। परन्तु इसकी एवज में गैर सरकारी संस्थाओं तथा दानदाता संस्थाओं को बीपीएल सहायता काउन्टर पर उनकी संस्था के बैनर लगाने की स्वीकृति दी जायेगी। संस्था द्वारा बीपीएल सहायता काउन्टर संचालित करने के स्थिति में संविदा पर संचालन का कार्य कर रहे कार्मिकों की सेवाऐं समाप्त कर

दी जायेगी। उपरोक्त व्यवस्था को संचालित करने हेतु आवश्यक कार्मिकों की सूची परिशिष्ठ एक पर संलग्न है।

8. जिन गंभीर बीमारियों में किसी भी प्रकार के एप्लायंस /इम्प्लांट की आवश्यकता हो उसके लिए मेडिकल कॉलेज एवं उससे संबद्ध चिकित्सालयों में 3 सदस्यीय कमेटी बनायी जायेगी जिसमें कॉलेज का प्रधानाचार्य, अधीक्षक के अलवा एक वरिष्ठ चिकित्सक होंगे। यह कमेटी मरीज के ईलाज हेतु आवश्यक एप्लायंस /इम्प्लांट की व्यवस्था को सुनिश्चित करेगी एवं गंभीर बीमारियों से संबंधित जैसे ह्रदय रोग, कैंसर रोग , अस्थि रोग आदि के लिए संभावित पैकेज का निर्धारण करेगी तथा नियमानुसार निविदा प्रकिया के माध्यम से न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाली फर्म से एप्लायंस /इम्प्लांट कय करेगी।

इसी प्रकार जिला स्तरीय/अन्य चिकित्सालयों में इस प्रकार के प्रकरणों हेतु जिला चिकित्सालयों में तीन सदस्यीय कमेटी बनायी जायेगी जिसमें संबंधित जिला चिकित्सालय का एक प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, एक विषय विशेषज्ञता का चिकित्सक तथा एक अन्य वरिष्ट चिकित्सक सम्मिलित होगा। यह कमेटी मरीज के इलाज से संबंधित समस्त व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेगी।

इस हेतु यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन एप्लायंस /इम्प्लांट का कय सभी संस्थानों में एकरूपता से किया जाये।

9. बीपीएल मरीजों की समस्त जॉचें चिकित्सालय स्तर पर उपलब्ध करवायी जायेगी लेकिन जो जॉचें चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है या अतिविशिष्ठ सेवाओं की जॉचें है, उनके लिए रोगी को उच्च चिकित्सा संस्थान हेतु रैफर किया जायेगा। जो जॉचें चिकित्सालय में किसी कारणवश उपलब्ध नहीं हो पा रही है, वे जॉचें कमेटी इन्चार्ज की अनुमति से निजी संस्थान से चिकित्सालय/आरएमआरएस की दरों पर करवायी जा सकेगी। उक्त जॉचों पर होने वाले व्यय का भुगतान आरएमआरएस द्वारा किया जायेगा। इसका पुर्नभरण अन्य जॉचों की तरह मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष से प्राप्त किया जा सकेगा।

10. रोग संबंधी उपचार / निदान की सुविधा मेडिकल कॉलेज एवं इनसे संबद्व चिकित्सालय मे उपलब्ध नहीं होने पर रोगी को राज्य के बाहर रोग के निदान/ उपचार हेतु नियमानुसार चिकित्सकों के गठित बोर्ड की अभिशंषा पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली अथवा स्नात्कोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ में भेजा जा

सकेगा। उक्त संस्थानों से प्राप्त रोग के तकमीने के आधार पर उस संस्थान को स्वीकृत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट रैफर किये जाने वाले संस्थान द्वारा भेजा जायेगा।

11. गंभीर रोगों से ग्रस्त बीपीएल रोगियों को उच्च चिकित्सा संस्थान में रैफर किये जाने की स्थिति में परिवहन की व्यवस्था आरएमआरएस की एम्बूलेंस या जिलाधीश द्वारा स्वीकृत दरों पर वाहन किराये पर लेकर की जायेगी। जिसके किराये का भुगतान आरएमआरएस द्वारा किया जाकर अन्य क्लेम के साथ मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष से प्राप्त किया जा सकेगा।

12. संबंधित बीमारी का विशेषज्ञ औषधियों का इन्डेन्ट मेडिकेयर रिलीफ समिति को भेजेगा जिसके आधार पर मेडिकेयर रिलीफ समिमि से औषधियां उपलब्ध करवायी जायेगी। जिला चिकित्सालयों, सैटेलाईट चिकित्सालयों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की मेडिकेयर रिलीफ समिमियां कमेटी के द्वारा निर्धारित पैकेज के आधार पर औषधियां सरकारी रेट कान्ट्रेक्ट अथवा सार्वजनिक उपकमों की दरों की समकक्ष दरों पर ही कय करेगी। तथा औषधियों का कय ब्राण्ड के नाम से न किया जाकर जैनेरिक आधार पर ही किया जायेगा। जिससे कय की जाने वाली औषधियों की दरों में एकरूपता रहे।

13. विभाग के अधीन विभिन्न स्त्रोतों /योजनाओं से प्राप्त निःशुल्क औषधियों को बीपीएल रोगीयों को प्राथमिकता से उपलब्ध करवाये तथा निःशुल्क औषधियों के समाप्त होने अथवा आवश्यकता होने पर औषधियों का कय करे। उक्त माध्यमों से प्राप्त होने वाली औषधियों के वितरण की दशा में उन समस्त औषधियों पर निःशुल्क औषधियों का अंकन करें एवं बीपीएल रोगियों के व्यय विवरण पत्र में इन औषधियों का मूल्य शून्य अंकित करे ताकि बीपीएल रोगियों के व्यय विवरण पत्र में इन औषधियों का सही लेखांकन हो सके।

14. आउटडोर मरीजों के लिए इलाज हेतु राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी संशोधित नियमावली 2007 के नियम 4 के प्रावधानों के अनुसार बीपीएल कार्डधारी मरीजों की दवाईयों पर 25 प्रतिशत राशि व्यय किये जाने का प्रावधान है। अतः अतिरिक्त राशि मांगे जाने पर तिमाही रूप से राशि का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा।

15. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के मरीजों के रिकार्ड का संधारण मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी में अलग से किया जावेगा। साधारण / गंभीर बीमारियों से संबंधित मरीजों की व्यक्तिगत फाइल बनाकर दवाईयों, उपकरणों , कृत्रिम अंगों आदि की कुल लागत का लेखा संधारित किया जावे। यहाॅ यह उल्लेखनीय है कि अस्पतालों में होने

वाली समस्त जॉचें निःशुल्क होंगी तथा उनका पुनर्भरण मेडिकेयर रिलीफ समितियों को राज्य सरकार द्वारा कर दिया जावेगा।

16. यह सम्पूर्ण योजना ऑन लाईन होगी जिसके लिए चरणबद्व रूप से सॉफ्टवेयर तैयार कर उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिसमें प्रत्येक बीपीएल कार्डधारक की विशेष पहचान संख्या अंकित होगी। इस सॉफ्टवेयर में राज्य के समस्त बीपीएल परिवार के सदस्यों का रिकार्ड उपलब्ध होगा एवं उनके इलाज पर होने वाले समस्त व्यय का विवरण रखा जावेगा।

17. योजना की क्रियान्विति की मासिक समीक्षा की जावेगी। इसके लिए संबंधित चिकित्सा संस्थान के प्रभारी का यह दायित्व होगा कि वह मासिक रिपोर्ट मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर, निदेशक, अस्पताल प्रशासन एवं संयुक्त निदेशक, संबंधित जोन को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। मासिक रूप से भिजवाये जाने वाली सूचना का प्रारूप परिशिष्ट तीन पर संलग्न है।

18. संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज जो भी संबंधित मेडिकेयर रिलीफ समिति के अध्यक्ष है, यह सुनिश्चित करेगे कि मेडिकेयर रिलीफ समिति में औषधियों की क्रय प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता से की जावे तथा औषधियां पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध हो। इस हेतु एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की दरों को आधार मानकर यथासंभव इससे कम दरों पर क्रय किया जावे।

19. जिला कलक्टर/ प्रधानाचार्य अपने संबंधित चिकित्सा संस्थानों में जाकर समय–समय पर बीपीएल परिवारों के रोगियों को उपलब्ध करायी जा रही चिकित्सा सुविधाओं का आकस्मिक निरीक्षण करेगे।

20. चिकित्सा संस्थान के प्रभारी का यह दायित्व होगा कि कोई भी बीपीएल परिवार का रोगी जानकारी के अभाव में किसी भी प्रकार से चिकित्सा सुविधा के लिए वंचित ना रहे। बीपीएल परिवार के रोगियों की चिकित्सा से संबंधित समस्त सुविधाऐं पूर्णतया नगद लेन देन रहित(Cashless) रहेगी।

21. राज्य सरकार के विघमान निर्देशों के अनुसार चिकित्सकों द्वारा Prescription साल्ट/ जैनेरिक नाम से लिखा जायेगा तथा रोग का निदान मानक उपचार दिशा–निर्देशों (Standard Treatment Guidelines) के अनुसार किया जायेगा। साल्ट/ जैनेरिक नाम से Prescription नहीं लिखने पर संबंधित चिकित्स के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। कुछ अतिविशिष्ठ रोगों में जीवन रक्षक औषधियों के रूप में जैनेरिक औषधियों के

अतिरिक्त अन्य औषधियों का उपयोग मान्य होगा जिनका निर्धारण चिकित्सालय की कमेटी द्वारा किया जायेगा।

22. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अन्य चिकित्सालयों जिनके पास राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रेट कान्ट्रेक्ट के अतिरिक्त औषधी कय हेतु कोई दर –संविदा निर्धारित नहीं है, वे बीपीएल मरीजों हेतु आवश्यकतानुसार संबंधित जिला चिकित्सालयों की दरों पर औषधियां कय करेगे। इस हेतु जिला कलक्टर चित्तौडगढ द्वारा औषधियों/ उपकरणों के कय के लिए अपनायी गयी प्रकिया को आधार बनाकर औषधियां / उपकरण कय किये जा सकते है जिससे प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर औषधियां / उपकरण प्राप्त हो सकेंगे।

23. अधिकांश रोगों में रोग के पूर्ण निदान हेतु लम्बे समय तक औषधियों की आवश्यकता होती है अतः ऐसे रोगों से ग्रस्त रोगियों को प्रथम बार मुख्य चिकित्सालय से तत्पचात् फॉलोअप के लिए रोगी सुविधानुसार उसके नजदीक के चिकित्सा संस्थान से निःशुल्क औषधियां चिकित्सक द्वारा निर्धारित अवधि के लिए उसी Prescription के आधार पर उपलब्ध करवायी जायेगी। इसके लिए Prescription की एक फोटोप्रति चिकित्सा संस्थान द्वारा उनके लेखा संधारण हेतु रखी जायेगी।

24. मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के अधीन इस योजना के लेखा के संधारण की नियमित ऑडिट की जायेगी । इस हेतु राज्य स्तर से ऑडिट दल भिजवाया जायेगा।

अतः समस्त संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के मरीजों के प्रति सवेदनशील रहे तथा उक्त निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करे। उक्त निर्देशों की पालना में किसी प्रकार की शिथिलता पायी जाने अथवा बीपीएल परिवारों के रोगियों के उपचार अथवा निःशुल्क औषधि वितरण आदि के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित चिकित्सा संस्थान के प्रभारी अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानी जायेगी तथा उसके विरूद्व नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

25. **माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के अनुसार दिनांक 01.04.2013 से बीपीएल/स्टेट बीपीएल परिवारों के हार्ट, किडनी एवं कैंसर के रोगियों को इलाज हेतु चिन्हित निजी चिकित्सालयों में इलाज करवाने पर प्रति रोगी अधिकतम एक लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता चिन्हित निजी चिकित्सालयों (राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित**

सूची में सम्मिलित) को बैंकर्स चैक/डीडी के माध्यम से दी जा सकेगी, शेष राशि यदि कोई हो तो लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन की जायेगी। (एमओयू सूची संलग्न)

विस्तृत दिशा–निर्देश/परिपत्र पृथक से संलग्न है।

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव चि. एवं स्वा., प. क. एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रमीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।
8. निदेशक(वित्त) एनआरएचएम, जयपुर ।
9. समस्त प्रधानाचार्य एव नियंत्रक /अधीक्षक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ,राजस्थान।
10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
11. समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान।
12. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान। (जिले के समस्त CHCs व PHCs को प्रति उपलब्ध करावें)
13. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
14. समस्त प्रभारी अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान।
15. प्रभारी सर्वर रूम को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग